कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.11.2023

थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा शातिर चोर 1-नानक शाह व 2-सलीम शाह गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के कुल 6090/- रु0 नगद व घटना मे प्रयुक्त ऑटो बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट की घटनाओं के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट के नेतृत्व में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-0529/23 धारा 379/ 411 भादवि थाना कैण्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1.नानक शाह पुत्र स्व0 निजाम शाह निवासी हरहुआ पुलिस चौकी के सामने डीह बाबा मंदिर के पास हरहुआँ थाना बड़ागांव जिला वाराणसी 2.सलीम शाह पुत्र स्व0 निजाम शाह निवासी हरहुआ पुलिस चौकी के सामने डीह बाबा मंदिर के पास हरहुआँ थाना बड़ागांव जिला वाराणसी को आज दिनांक 23.11.2023 को समय करीब 14.30 बजे दूरदर्शन टावर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 6090/- रुपया नगद व घटना मे प्रयुक्त 01 अदद बजाज ऑटो को बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- दिनांक-23.11.2023 को वादी मुकदमा श्री कन्हैया तिवारी पुत्र स्व0 नथुनी तिवारी निवासी लोढान क्राइस्ट नगर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी ने दिनांक-06/11/2023 को अज्ञात टेम्पू चालक द्वारा उनका पर्स जिसमे 12500/- रुपये, ATM, अधार व पैन कार्ड तथा कुछ कागजात चोरी कर लेने के सम्बन्ध में लिखित प्रार्थना पत्र दिया जिसके आधार पर थाना कैन्ट मे मु0अ0सं0-0529/23 धारा 379 IPC पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 सूर्य प्रकाश पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त नानक शाह ने पूछताछ करने पर बताया कि कभी मै तो कभी मेरा ये सगा भाई सलीम शाह सवारी बनकर पीछे बैठ जाते हैं व दोनो ही आटो चला लेते हैं। हम दोनों रास्ते में बुजुर्ग लोगो को अपने ऑटो में बिठाकर उनकी जेब से या उनका पर्स से या उनके बैग से सामान व रुपयों को चुरा लेते हैं, फिर चोरी का सामान व रुपये को आपस में बराबर-बराबर बांट लेते हैं। अभी 10 से 15 दिन पहले ही एक बुजुर्ग व्यक्ति का पर्स चोरी किया था जो लाल रंग का पुराना पर्स था जिसमें 10 से 12 हजार रुपया, आधार कार्ड, पैन कार्ड व कुछ कागज भी थे। पर्स पुराना था इसलिये पर्स व कागजों को रास्ते मे फेंक दिया था। रुपयों को हम लोगों ने आपस में बांट लिया था और आटो का सामान व आटो की किस्त जमा कर दी व घर का राशन भरवा दिया था। हमारे पास बस यही रुपये बचे हैं।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1.नानक शाह पुत्र स्व0 निजाम शाह निवासी हरहुआ पुलिस चौकी के सामने डीह बाबा मंदिर के पास हरहुआँ थाना बड़ागांव जिला वाराणसी, उम्र करीब 37 वर्ष।

2.सलीम शाह पुत्र स्व0 निजाम शाह निवासी हरहुआ पुलिस चौकी के सामने डीह बाबा मंदिर के पास हरहुआँ थाना बड़ागांव जिला वाराणसी, उम्र 31 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण-</u> कुल 6090/- रुपया नगद एवं घटना में प्रयुक्त 01 अदद बजाज ऑटो।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1.उ0नि0 सूर्य प्रकाश पाण्डेय थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

2.उ0नि0 गौरव कुमार सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

3.हे0का0 बृजबिहारी ओझा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

4.का0 अजय प्रताप सिंह थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

5.का0 प्रिन्स तिवारी थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

6.का0 सचिन मिश्रा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

7.का0 प्रेम शंकर पटेल थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

8.का0 अंकित मिश्रा थाना कैण्ट कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी